कार्यालय:: जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, हरिद्वार।

पत्रांकः 1097 /इ0अ0भो0-चयन/2019-20 दिनांकः 22 नवम्बर, 2019

विज्ञप्ति

प्रमुख सचिव महोदया, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या-1076/XI/2017/56(27)2015 दिनाँक 14 जुलाई, 2017 के द्वारा जारी इन्दिरा अम्मा भोजनालय संबंधी नये दिशा-निर्देशों के अनुसार जनपद हरिद्वार में "इन्दिरा अम्मा भोजनालयों" के संचालन हेतु महिला एस0एच0जी (स्वयं सहायता समूहों) का चयन किया जाना है, जो समूह निम्नानुसार न्यूनतम अर्हता रखते हों, वे विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिन के अन्दर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से विलम्बतः 04.12.2019 की सांय 5.00 बजे तक अपना आवेदन सम्बन्धित अभिलेखों सहित **जिला ग्राम्य विकास अभिकरण कार्यालय, कक्ष सं0 26 विकास भवन, प्रथम तल, रोशनाबाद हरिद्वार** अथवा **सम्बन्धित विकास खण्ड** में पूर्ण विवरण सहित जमा करा सकते हैं। प्रार्थना पत्र नि:शुल्क अभिकरण कार्यालय से कार्यालय दिवस में दिनाँक 28 नवम्बर, 2019 तक प्राप्त किया जा सकता है अथवा जनपद की वेबसाईट **www.haridwar.nic.in** से भी डाउनलोड कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार "**नगर निगम क्षेत्रों में संचालित कैंटीनों के संचालन का कार्यकाल अधिकतम 01 वर्ष का होगा तत्पश्चात 02 वर्ष की अवधि उपरांत ही वे पुनः कैंटीन संचालन के पात्र होंगे।" "नगर निगम क्षेत्रों को छोडते हुए अन्य कैंटीनों के संचालन का कार्यकाल अधिकतम 02 वर्षों का होगा तत्पश्चात 04 वर्ष की अवधि उपरांत ही वे पुनः कैंटीन संचालन के पात्र होंगे।"**

1. योजनान्तर्गत प्रति थाली ₹ 20.00 उपभोक्ता से लिया जायेगा एवं ₹10.00 प्रति थाली राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में वहन किया जायेगा, जिसका समायोजन अभिकरण कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा ।
2. ऐसे एस0एच0जी0 जो डे-एन0आर0एल0एम0 के मार्गदर्शी सिद्धांत के अनुसार गठित किये गये हैं तथा नियमित रूप से सक्रिय है एवं उनके द्वारा कम से कम परिक्रामी निधि (रिवाल्विंग फण्ड) प्राप्त कर लिया गया हो, पुर्नगठित समूह के मामले में समूह को या जिन्हें एस0जी0एस0वाई0 के तहत आर0एफ0 प्राप्त हो चुका हो यदि पूर्व में उन्हें एस0जी0एस0वाई0 के तहत आर0एफ0 प्राप्त नहीं हुआ हो, परन्तु डे-एन0आर0एल0एम0 से आर0एफ0 प्राप्त कर लिया गया हो, ऐसे समस्त समूह भी कैन्टीन के संचालन हेतु पात्र होंगे।
3. डे-एन0आर0एल0एम0 के मार्गदर्शी सिद्धान्त के तहत गठित ऐसे स्वयं सहायता समूहों जिनको सी0आई0एफ0 प्राप्त हो चुका हो अथवा माइक्रोक्रेडिट प्लान इन्दिरा अम्मा भोजनालय खोलने हेतु तैयार किया गया हो, को कैंटीन हेतु वरीयता दी जायेगी।
4. शहरी निकायों के क्षेत्रों में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) के अन्तर्गत आने वाले स्वयं सहायता समूह भी इन्दिरा अम्मा कैंटीन के संचालन हेतु पात्र हो सकते हैं, इन्हें शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या -1076/XI/2017/56(27)2015 दिनाँक 14 जुलाई, 2017 के संशोधित शासनादेश संख्या -618 दिनाँक 06 मार्च, 2019 के बिन्दु संख्या -3.3 के अनुसार ग्राम्य विकास विभाग द्वारा अनुदान दिया जायेगा।
5. समूह किसी विभाग/स्थानीय निकाय/सम्बन्धित क्षेत्र के विकास खण्ड में पंजीकृत हो।
6. एस0एच0जी0 को प्रबन्ध कुशलता का अच्छा ज्ञान हो।
7. एस0एच0जी0 पंचसूत्र का पालन करता हो यथा-**1.नियमित साप्ताहिक बैंठक, 2-नियमित साप्ताहिक बचत, 3-नियमित साप्ताहिक लेखा जोखा, 4-नियमित ऋण का संचालन एवं 5-समय से ऋण तथा ब्याज की वापिसी।**
8. एस0एच0जी0 विशेष परिस्थितियों में **SURVIVE** की क्षमता रखता हो ।

9. एस0एच0जी0 नियमित लेखा जोखा रखने की क्षमता रखता हो। दैनिक रजिस्टर, स्टाक बुक व कैश बुक रखनी होगी, जिसमें नियमित लेखा जोखा किया जाना होगा।

10. एस0एच0जी0 की सदस्या को भोजन बनाने सम्बन्धी ज्ञान होना आवश्यक है।

11. अन्य शर्ते शासन के दिशा निर्देशानुसार/जिला स्तरीय समिति के निर्देशानुसार मान्य होंगी। एस0एच0जी0 के चयन करने अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार चयन समिति को होगा, एस0एच0जी0 की यदि कोई सूचना असत्य पायी जाती है एवं नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो कैंटीन का संचालन निरस्त करने का अधिकार जनपद स्तरीय समिति का होगा।

परियोजना निदेशक ,
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण ,
हरिद्वार।

मुख्य विकास अधिकारी
हरिद्वार

जिलाधिकारी
हरिद्वार

प्रतिलिपिः-

1- जिला सूचना अधिकारी, हरिद्वार को इस आशय से कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन दो हिन्दी राष्ट्रीय समाचार पत्रों के हरिद्वार संस्करण में आगामी तिथि में न्यूनतम स्पेस में शासकीय दरों में प्रमुखता से प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
2- जिला मिशन प्रबन्धक, डे-एन0आर0एल0एम0, हरिद्वार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3- समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद हरिद्वार को इस आशय से कि विज्ञप्ति को कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें एवं समूहों से प्राप्त आवेदन-पत्रों को निर्धारित तिथि तक समायन्तर्गत अभिकरण कार्यालय में प्रेद्वित करना सुनिश्चित करेंगे।
4- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन0आई0सी0) हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को जनपद-हरिद्वार की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
5- परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, हरिद्वार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6- जिलाधिकारी/अध्यक्ष महोदय हरिद्वार की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
7- अपर सचिव महोदय, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य विकास अधिकारी,
हरिद्वार

"नि:शुल्क"

"इन्दिरा अम्मा भोजनालय जनपद हरिद्वार के संचालन हेतु स्वयं सहायता समूह के चयन सम्बंधी आवेदन का प्रारूप"

1. स्वयं सहायता समूह का नाम :- .... ग्राम/मौहल्ला :- ....
2. ग्राम पंचायत/नगर निकायः- .... विकासखण्ड/तहसीलः- ....
3. पत्राचार का पता :- ....
   .... दूरभाष..
4. स्वंय सहायता समूह के गठन की तिथि :- ....
5. स्वयं सहायता समूह का क्रियाकलाप :- ....
6. स्वयं सहायता समूह को रिवाल्विंग फण्ड प्राप्त हुआ है अथवा नहीं: हॉं/नहीं............. यदि हां तो किस योजनान्तर्गत...
7. स्वयं सहायता समूह का माइक्रो क्रेडिट प्लान बना है अथवा नहीं: हॉं/नहीं..
8. बैंक व शाखा का नाम (जहॉं समूह का खाता खोला गया है) :- ....
9. खाता संख्या :- ....कुल जमा धनराशि :- ....
10. एस0एच0जी0 जिस विभाग में पंजीकृत है उस विभाग का नाम :- ....
11. योजना का नाम जिसके अन्तर्गत समूह पंजीकृत है :- ....
12. समूह में सदस्यों की कुल संखया एवं विवरण :- ....(नियमावली संलग्न करें)

क्र0सं0	समूह सदस्य का नाम	पदनाम	पिता/पति का नाम	द्रौक्षिक योग्यता	मोबाईल नं0	आधार नम्बर
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

13. समूह में भोजन बनाने के लिये सभी सदस्यों का सहमति पत्र (संलग्न करें) :-
14. यदि समूह के सदस्य अन्य कोई विशेष योग्यता रखते हों तो उसका विवरण :-

(1) ....
(2) ....
(3) ....

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
(कोषाध्यक्ष)	(सचिव)	(अध्यक्ष)
नाम :-	नाम :-	नाम :- ....
मोहर :-	मोहर :-	मोहर :- ....